अध्यक्ष महोदय: यह ठीक बात नहीं है कि जब मैं अध्यक्षपीठ पर बैठता हूँ तो कोई न कोई लिख कर भेज देता है कि मैं वक्तव्य नहीं दे सकता। इस तरह से सभा की कार्यवाही कैसे चल सकती है? इसलिये यदि नेता लोग मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं कैसे काम कर सकता हूँ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):

सदन को मालूम है कि बर्मा की क्रान्तिकारी परिषद और सरकार के अध्यक्ष, महामान्य जनरल ने विन, के निमंत्रण पर मैंने 27 से 30 मार्च, 1969 बर्मा की राजकीय यात्रा की।

भारत और बर्मा के बीच सिर्फ निकट पड़ोसियों का रिश्ता नहीं है बल्कि दोनों देशों के बीच उससे भी घनिष्ट सम्बन्ध हैं। इस निकट संबंध का आधार वे स्थायी मूल्य हैं जिन्हें हमारे दोनों देशों के लोगों ने स्वीकार किया और युगों से उनको मान्यता दी है। मित्रता की यह लम्बी परम्परा उस जमाने में और ज्यादा मजबूत हुई जबकि दोनों देशों के लोग आजादी की लड़ाई में साथ ही जुटे हुए थे।

मेरी यह यात्रा थोड़े ही दिनों की थी फिर भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दोनों देशों के पारस्परिक हित के बहुत से विषयों पर अध्यक्ष महोदय और उनके सहयोगियों के साथ विचार-विमर्श करने का मौका मिला। मेरा अनुमान है कि इस बातचीत और यात्रा से हमारे दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हुए और इनके कारण दोनों देशों की सरकारों और लोगों के बीच समझ-बूझ और सहयोग को बढ़ावा मिला।

अध्यक्ष ने विन और मैंने महत्वपूर्ण राजनैतिक और आर्थिक समस्याओं को ध्यान में रख कर, विश्व की वर्तमान स्थिति पर विचार किया। बातचीत में हमने उन समस्याओं पर भी खास तौर से ध्यान दिया जो विकासशील देशों में हमारे लिये अधिक महत्व की हैं। सदन को मालूम है कि बर्मा और भारत संसार में राष्ट्रों की स्वतंत्रता और उनकी प्रभुसत्ता के प्रति आदर पर आधारित, शान्ति और समझ-बूझ को बढ़ावा देना चाहते हैं। हमारे दोनों देश, राष्ट्रों के संबंधों में एक-दूसरे के अन्दरूनी मामलों में दखल न देने के सिद्धान्त को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। अपनी बातचीत में हम इस पर सहमत हुए कि हमारे दोनों देशों के सामने आर्थिक पुनर्निर्माण का जो सबसे बड़ा काम है, उसे विकास-शील देशों और खास तौर से पड़ोसी देशों के बीच आपसी सहयोग के जरिये जल्दी पूरा किया जा सकता है।

अध्यक्ष ने विन के साथ मेरी बातचीत और बर्मी अधिकारियों के साथ हमारे अधिकारियों की बातचीत के दौरान भी हमने दोनों देशों के आपसी हित के मामलों पर विचार-विमर्श किया। इनमें वे समस्यायें शामिल थीं जिनका संबंध बर्मा में रहने वाले भारतीय नागरिकों से है और उन भारतीय मूल के लोगों से भी है जो बर्मी नागरिकों के रूप में रजिस्टर किए जाने का इन्तजार कर रहे हैं। अध्यक्ष ने विन और उनकी सरकार इस पर सहमत हो गई है कि वे इनकी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक और जल्दी ही विचार करेंगे। हमने अपने दोनों देशों के बीच अधिक आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर भी बातचीत की। मैं आशा करती हूँ कि इस बातचीत के फलस्वरूप बर्मा और भारत के बीच आर्थिक सहयोग के संबंध और भी निकट हो जायेंगे।

मैंने अध्यक्ष ने विन और उनकी सरकार के प्रति इस पर धन्यवाद प्रकट किया कि उन्होंने भारत-वर्मा की सीमा पर सतर्कता बरती। सदन को मालूम है कि उनकी इस सतर्कता से हमें अपनी पूर्वी सीमा पर कुछ पथ-भ्रष्ट लोगों के खिलाफ अधिक कारगर उपाय बरतने में सहायता मिली है। मैं आशा करती हूँ कि सदन ने अध्यक्ष ने विन के उस भाषण पर ध्यान दिया होगा जो उन्होंने मेरे सम्मान में आयोजित किए गए राजभोज के अवसर पर दिया था, कि उनकी सरकार किसी अन्य राज्य के राष्ट्रिकों अथवा संगठनों को बर्मा प्रदेश का उपयोग इस काम के लिए नहीं करने देगी कि वे वहाँ से अपने ही देश अथवा किसी तीसरे देश के खिलाफ विद्रोही कार्यवाही कर सकें। अध्यक्ष ने विन ने आगे कहा कि इसी मूल नीति के अनुसार बर्मा ने भारत के उन राष्ट्रिकों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जिन्होंने भारत के खिलाफ विद्रोही कार्यवाही करने के लिए बर्मी प्रदेश का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी।

मैंने अध्यक्ष महोदय को इस बात के लिए भी धन्यवाद दिया कि बर्मा ने हमारी सीमा के रेखांकन के कार्य में समझ-बूझ से काम लिया और सहयोग प्रदान किया। इसका पहला चरण समय से पहले पूरा किया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय और श्रीमती ने विन के सरकार के लिए हम यहाँ हमेशा तत्पर रहेंगे। मैंने उन्हें निमंत्रण दिया है कि वे अपनी सुविधानुसार, किसी भी समय भारत आयें। उन्होंने यह निमंत्रण स्वीकार किया है।

जैसा कि रिवाज है, मेरी यात्रा की समाप्ति पर दोनों सरकारों ने एक सम्मिलित विज्ञप्ति जारी की। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं इसकी एक प्रति सदन की मेज़ पर रखती हूँ। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 600/69]**

निदेश 115 के अन्तर्गत वक्तव्य

STATEMENT UNDER DIRECTION 115

आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन के समयों में परिवर्तन

श्री उमानाथ (पुद्दूकोट्टै): 19 फरवरी, 1969 को सूचना और प्रसारण मंत्री से एक तारांकित प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था। तब सूचना और प्रसारण मंत्री श्री सत्य नारायण सिंह ने प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में कहा था कि तमिल नाडु सरकार की ओर से औपचारिक रूप से कोई विरोध नहीं किया गया है। इस वक्तव्य का तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने 10 मार्च, 1969 को खण्डन किया था और उन्होंने कहा था कि हमने प्रातः 8.00 बजे से 80.15 बजे के अंग्रेजी बुलेटिन के स्थान पर हिन्दी समाचार बुलेटिन को प्राथमिकता दिए जाने पर विरोध किया था। तब उन्होंने कहा कि यह कहना सही नहीं है कि राज्य सरकार ने स्वर्गीय अन्नादुरै तथा प्रधान मंत्री के बीच दिसम्बर में इस बारे में हुए पत्र-व्यवहार के बाद समय में परिवर्तन करने का विरोध नहीं किया था। उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया था कि केन्द्रीय सूचना मंत्री ने संसद् में कहा है कि राज्य सरकार की ओर से विरोध नहीं किया गया है।

इस बात को देखते हुए मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय के वक्तव्य से हम लोग गुमराह